

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या – 721/2022  
अनवान : –

1. राधेश्याम पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. धनश्याम पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
3. धीरज कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. निरज कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
5. आशीष पुत्र जुगलकिशोर जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. संतलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
2. प्रकाशचन्द्र पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोल
3. जुगलकिशोर पुत्र माडुराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. नारायणी देवी पत्नि माडुराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
5. रोशनी पुत्री माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
6. सुशीला
7. प्रार्वती
8. मनोज कुमार
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

पुत्र व पुत्रीयान स्व० सिलोचना पुत्री माडूराम जाति जाट निवासी  
चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0**

**अधि0 1955**

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

**निर्णय**

दिनांक: 25/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हेक्टर भूमि में से 11/18 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में से 2656/6325 हिस्सा भूमि माडूराम पुत्र मालुराम के नाम दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माडुराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी. एम. तहसील नोहर दिनांक 10/10/2010 को फौत हो चुके है तथा उनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 है तथा वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 भूमि में अकेला एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम, तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.



**Rahul**  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 2656/6325 हिस्सा के माहूराम पुत्र मालुराम खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त कृषि भूमि बतौर कर्ता हिनदु खानदान प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नमा विरास्तन दर्ज होनी है तथा प्रतिवादी सं. 1ता 8 ने नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 7 ता 9 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्नति एवं समृद्धि चाहती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्ती एवं समृद्धि हेतु अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से मृतक माडुराम के नाम दर्ज 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि स्थित में मृतक माडुराम के नाम दर्ज 2656/6325 हिस्से में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 ता 4 ब.हि.व. 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 5 अकेला 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज अन्य खाता में भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण माडुराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

  
उपजम्ह अधिकारी  
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माडुराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी. एम. तहसील नोहर दिनांक 10/10/2010 को फौत हो चुके हैं तथा उनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 है तथा वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि में अकेला एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम, तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 2656/6325 हिस्सा के माहूराम पुत्र मालुराम खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त कृषि भूमि बतौर कर्ता हिनदु खानदान प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नमा विरास्तन दर्ज होनी है तथा प्रतिवादी सं. 1ता 8 ने नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 7 ता 9 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्नति एवं समृद्धि चाहती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्ती एवं समृद्धि हेतु अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से मृतक माडुराम के नाम दर्ज 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि स्थित में मृतक माडुराम के नाम दर्ज 2656/6325 हिस्से में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 ता 4 ब.हि.व. 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 5 अकेला 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज अन्य खाता में भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


  
उपजज अधिकारी  
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हेक्टर भूमि में से 11/18 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में से 2656/6325 हिस्सा भूमि माडूराम पुत्र मालुराम के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माडूराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी. एम. तहसील नोहर दिनांक 10/10/2010 को फौत हो चुके है तथा उनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 है तथा वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि में अकेला एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम, तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से 2656/6325 हिस्सा के माहूराम पुत्र मालुराम खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त कृषि भूमि बतौर कर्ता हिनदु खानदान प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नमा विरास्तन दर्ज होनी है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने नाम दर्ज कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है यानि बाई बर्थ राईट है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 व 7 ता 9 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पारिवारिक सदस्य है तथा जो कि अपने परिवार से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्नति एवं समृद्धि चाहती है तथा अपने परिवार की सामाजिक उन्ती एवं समृद्धि हेतु अपना हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से मृतक माडुराम के नाम दर्ज 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि स्थित में मृतक माडुराम के नाम दर्ज 2656/6325 हिस्से में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 ता 4 ब.हि.व. 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 5 अकेला 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज अन्य खाता में भूमि यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवापाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा माडुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

*Lalraj*

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से मृतक माडुराम के नाम दर्ज 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि स्थित में मृतक माडुराम के नाम दर्ज 2656/6325 हिस्से में वादीगण सं. 1 ता 2 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 5 अकेले को 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज अन्य खाता में भूमि यथावत रहेगी एवं मृतक माडुराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...25/03/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 721/2022

अनवान : –

1. राधेश्याम पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. धनश्याम पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
3. धीरज कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. निरज कुमार पुत्र प्रकाशचन्द्र जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
5. आशीष पुत्र जुगलकिशोर जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. संतलाल पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
2. प्रकाशचन्द्र पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
3. जुगलकिशोर पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
4. नारायणी देवी पत्नि माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
5. रोशनी पुत्री माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर
6. सुशीला
7. प्रार्वती
8. मनोज कुमार
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

} पुत्र व पुत्रीयान स्व० सिलोचना पुत्री माडूराम जाति जाट निवासी चक 6 आरपीएम तहसील नोहर।


– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 721 सन 2022 निर्णय दिनांक 25/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बरानी तहसील नोहर के खाता सं. 362/302 की कुल तादादी 4.0480 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 6 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 132/112 की कुल तादादी 4.5540 हैक्टर भूमि में सयुक्त रूप से मृतक माडूराम के नाम दर्ज 11/18 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 आर.पी.एम. तहसील नोहर के खाता सं. 56/43 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि स्थित में मृतक माडूराम के नाम दर्ज 2656/6325 हिस्से में वादीगण सं. 1 ता 2 ब. हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादीगण सं. 3 ता 4 ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 5 अकेले को 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज अन्य खाता में भूमि यथावत रहेगी एवं मृतक माडूराम का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...25/03/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर